उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

/एसआईडीसी/ दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रायः यह संज्ञान मे आ रहा है कि आवंटी की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार / अपर / उपजिलाधिकारी /जिलाधिकारी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इस प्रमाण पत्र मे धनराशि की सीमा रू0 5000.00 अथवा रू0 10000.00 की सीमा अंकित की जाती है। प्रभारी महाप्रबन्धक विधि द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र केवल चल सम्पत्ति के लिए मान्य है और अचल सम्पत्ति के लिए विधिक औचित्य नही है।

अतः एतदद्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मृतक आवंटी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे निर्णय लिये जाने से पूर्व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का भली–भाँति परीक्षण कर लिया जाये और जब तक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सम्बन्धी आदेश मे स्पष्ट रूप से वर्णित न हो कि जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे भी स्वीकार्य होगा तब तक तहसीलदार/अपर/उपजिलाधिकारी /जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के रूप मे स्वीकार नही किया जायेगा। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे सक्षम प्राधिकारी /न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश ही साक्ष्य के रूप मे मान्य होगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

सं0स0 81-84 /एसआईडीसी/आई0ए0/ दिनांक D.58/Firozabad dt 22-4-14

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक विधि उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 कानपुर।
2. स्टाफ आफिसर प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कैम्प उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/ परियोजना अधिकारी /क्षेत्र प्रबन्धक उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0. कानपुर।
4. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी औ0क्षे0 अनुभाग उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner